भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3205
गुरूवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों का विकास और उन्नयन

3205. **श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:**
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री निलेश ज्ञानदवे लंके:
डॉ. शविाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश भर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और सार्वजनि क-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के अंतर्गत विभन्नि हवाई अड्डों के विकास, उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का वर्षवार और राज्यवार, वशिषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ब्यौरा क्या है;
(ख) आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा और प्रकृति क्या है तथा उनके पूरा होने की समय-सीमा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा धनराशि के कुशल उपयोग और उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए देश भर में मध्य प्रदेश सहित राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और पीपीपी भागीदारों ने वायु यातायात/यात्रियों की वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में विभिन्न हवाई अड्डों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण पर वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 96000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय किया है, जिसमें नए हवाईअड्डे, मौजूदा टर्मिनलों का विस्तार/सुधार, नई यात्री सुविधाओं को जोड़ना, मौजूदा रनवे का विस्तार/सुदृढ़ीकरण, एप्रन, विमान दिक्चालन सेवाएं (एएनएस) कार्य जैसे नियंत्रण टॉवर, तकनीकी ब्लॉक आदि शामिल हैं।

इसमें एएआई का 25,000 करोड़ रुपये से अधिक और शेष निजी हवाई अड्डा संचालकों/विकासकर्तों का हिस्सा शामिल है। एएआई पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से अपने संसाधनों से करता है और कुछ भाग बजटीय अनुदान से (क) क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) के प्रथम चरण के अंतर्गत असेवित और

अल्पसेवित हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों/जल हवाईअड्डों के जीर्णोद्धार/उन्नयन के लिए आवंटित 4500 करोड़ रुपये और (ख) वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान अतिरिक्त हवाईअड्डों, हेलीपोर्टों, वॉटर एयरोड्रोमों और उन्नत लैंडिंग ग्राउंडों के जीर्णोंउद्धार के लिए आरसीएस-उड़ान के द्वितीय चरण में आवंटित 1000 करोड़ रुपये।

निजी हवाई अड्डा संचालक/विकासकर्ता अपने स्वयं के स्रोतों से पूंजीगत व्यय करते हैं।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25) के स्वीकृत आंकड़ों के आधार पर, पिछले पांच वर्षों के दौरान एएआई और निजी हवाईअड्डा संचालकों/विकासकर्ता द्वारा पूंजीगत व्यय लगभग 11742 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2020-21), 13294 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2021-22), 17879 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23), 19260 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24) और 19317 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2024-25) रहा है।

हवाईअड्डों का उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा संचालकों/विकासकर्ता द्वारा समय-समय पर भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक महत्व, यातायात की मांग/ऐसे हवाईअड्डों से/तक परिचालन करने के लिए एयरलाइनों की स्वेच्छा के आधार पर किया जाता है। वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, अहमदाबाद, मोपा, नवी मुंबई, नोएडा (जेवर), भोगापुरम, अयोध्या, कुशीनगर, सिंधुदुर्ग, होलोंगी, धोलेरा, देहरादून, अगरतला, पटना, विजयवाड़ा, देवघर, अमृतसर, चेन्नई, तिरुपति, मैंगलोर, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, सूरत तिरुचिरापल्ली, कोल्हापुर, जबलपुर, ग्वालियर, राजकोट, लेह, हुबली, इम्फाल, जोधपुर, उदयपुर, राजमुंदरी, बेलगावी, शिवमोग्गा, विजयपुरा, हसन, प्रयागराज, तूतीकोरिन, रीवा, सतना, दतिया आदि सहित देश भर के कई हवाई अड्डों पर एएआई और निजी हवाई अड्डा ऑपरेटरों/डेवलपर्स द्वारा हवाई अड्डा परियोजनाएं शुरू, की गई हैं। ।

हवाईअड्डा परियोजनाओं के निर्माण की समय-सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि परियोजना प्रस्तावकों द्वारा भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदि।

नागर विमानन मंत्रालय, हवाईअड्डा परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों, हवाईअड्डा विकासकर्ता और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करके समय-समय पर हवाईअड्डा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) भी अपनी परियोजनाओं की आंतरिक समीक्षा करता है।

******

,